


—:: आदेश ::—

म० प्र० व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा लेखापाल—तृतीय राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के पद के लिये सीधी भर्ती से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनबैंड 5200—20200+ग्रेड—पे 2100/- एवं अन्य भत्तों पर नीचे उल्लेखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन आगामी आदेश तक राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 17 के अंतर्गत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:—

क्र०	नाम	वर्ग	मेरिट क्रमांक	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
1	2	3	4	5
1	सुश्री सृष्टी मीना	अ०पि०व०	1	कृषि उपज मण्डी समिति बैतूल जिला — बैतूल
2	श्री भोलानाथ जायसवाल	अ०पि०व०	2	कृषि उपज मण्डी समिति निवाड़ी जिला—टीकमगढ़
3	श्री देवेन्द्र कुमार यादव	अ०पि०व०	3	कृषि उपज मण्डी समिति उदयपुरा जिला—रायसेन
4	सुश्री निधि मालवीय	अ०पि०व०	4	कृषि उपज मण्डी समिति बैरसिया जिला—भोपाल।
5	श्री राजेश मोहिया	अनु० जाति	6	कृषि उपज मण्डी समिति पचौर जिला—राजगढ़
6	श्री हरीश वर्मा	अनु० जाति	7	कृषि उपज मण्डी समिति तराना जिला—उज्जैन
7	श्री सचिन अहिरवाल	अनु० जाति	8	कृषि उपज मण्डी समिति दमोह जिला—दमोह
8	श्री जयेश रामटेके	अनु० जाति	10	कृषि उपज मण्डी समिति सेंधवा जिला—बड़वानी
9	सुश्री अरुणा बाणी	अनु० जाति	11	कृषि उपज मण्डी समिति भीकनगांव जिला—खरगौन
10	सुश्री रोशनी प्रजापति	अनु० जाति	12	कृषि उपज मण्डी समिति खिरकिया जिला—हरदा

शर्तः—

- 01— यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षा में सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 02— अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देने के देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जावेगा कि उसने अनुपस्थित की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तथा उसे एक माह का या नोटिस की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन भत्ते का भुगतान बोर्ड को करना होगा।
- 03— उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना बोर्ड सेवा छोड़ने पर शर्त (2) के अंतर्गत देय राशि उनसे भू—राजस्व की बकाया की भाँति वसूल योग्य होगी।
- 04— उपर्युक्त नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में की जाती है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
- 05— उपरोक्त पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर कार्य पर उपरिथित नहीं होने पर दिनांक 21/10/2015 को आपका नियुक्ति आदेश स्वरूप निरस्त माना जावेगा।
- 06— कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक/एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं



- मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा की जावेगी।
- 07— नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में किसी आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
- 08— परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।
- 09— स्थाई सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोड़ने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन केलेण्डर माह की लिखित सूचना प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से दिये बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या त्याग पत्र नहीं देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिये प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पड़ती हो, वेतन के बराबर की रकम बोर्ड को चुकाने का उत्तरदायी होगा।
- 10— चयनित/अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय—समय पर आयेजित प्रशिक्षण/कार्यक्रमों में उपरिथित होना अनिवार्य होगा, साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में विहित विभागीय परीक्षा आदि (यदि कोई हो) को नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- 11— चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता चयन हेतु गठित समिति की अनुसंशा अनुसार पद की निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर मेरिट कमानुसार ही रहेगी भले ही वे विभिन्न दिनांकों को ज्वाइन करेंगे।
- 12— यह नियुक्ति आदेश शैक्षणिक अर्हताओं के दस्तावेज प्रमाण पत्र अंक सूचियाँ आदि एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज वैध नहीं पाये जाते हैं या उसकी पुष्टि/सत्यापन नहीं होता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं सेवा अवधि में प्राप्त किये गये वेतन भत्ते वसूली योग्य होगे। अभ्यर्थी को इस आशय का अभिवचन देना होगा।
- 13— म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र0 एफ सी-15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ—पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
- 14— यदि किसी समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा विभाग राज्य मण्डी बोर्ड सेवा अथवा पुलिस को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी सेवा तत्काल बिना सत्यापन के दौरान दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- 15— भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहना होगा।
- 16— समय—समय पर बोर्ड द्वारा सेवा शर्तों संबंधी लिये गये निर्णय बंधनकारी होंगे।
- 17— बोर्ड के कार्य के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कहीं भी पदस्थापना की जा सकेगी।
- 18— विवाहित होने की स्थिति में आपको कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 26.01.2001 के बाद की स्थिति में दो से अधिक जीवित बच्चे न होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(अरुण पाण्डे)

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
 02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
 03. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / मुख्य अभियंता / अधीक्षण यंत्री (समस्त) मुख्यालय भोपाल।
 04. उपसंचालक / कार्यपालयंत्री / सहायक यंत्री / सहायक संचालक मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
 05. लेखाधिकारी (लेखा / आडिट / पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल
 06. कार्यालय संयुक्त संचालक म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय, रीवा / सागर / ग्वालियर / जबलपुर / इन्दौर / उज्जैन / भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न है तदानुसार संबंधित अभ्यर्थी के सेवा पुस्तिका / सेवा अभिलेख तैयार करें / संधारित करें।
 07. सहायक लेखाधिकारी ((लेखा / आडिट / पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल
 08. अनुभाग अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
 09. श्री / श्रीमति / कुमारी
-
- 11- आदेश नस्ती / व्यक्तिगत नस्ती / गोपनीय चरित्रावली शाखा / लेखा शाखा / मण्डी कार्मिक / कम्प्यूटर शाखा / शाखा, एवं अन्य शाखा



प्रबंध संचालक
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल